



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी पूर्व, मुंबई/ 096 400 - ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-28294756 / 28294799 फ़ैक्स/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in



सं.सीपज़/न्यूसेज़/एसी/181/2015-16/वॉल्यू-XI | 19905

दिनांक 09 .10.2019

विषय:- पुणे क्लस्टर की दिनांक 18.10.2019 को आयोजित की जाने वाली यूएसी बैठक के समय में परिवर्तन।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस कार्यालय के दिनांक 30.9.2019 के पत्र संख्या सीपज़/न्यूसेज़/एसी/181/2015-16/वॉल्यू-IX/19140 का संदर्भ देते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाली पुणे क्लस्टर की यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 (शुक्रवार) को दोपहर 12.00 बजे से आयोजित की जाने वाली थी, अब प्रातः 10.00 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक के स्थान तथा तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में आप भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय

(रा.हरीश चौधरी)

सहायक विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

प्रति,

1. श्री सेंथिल नाथन, उप सचिव (आइएफ-1), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवाएं विभाग, जीवनदीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001. | 19905
2. सभी सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार).
3. सभी विकासक/यूनिट, पुणे क्लस्टर.
4. आईटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए.